पंजाब नैशनल बैंक pnb punjab national bank

.....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालय दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-203207
ई-मेल : bo0109@pnb.co.in

कर्जदार/गारंटर को 60 दिवसीय सूचना — **परिशिष्ट-1 (संशोधित क्रम-4)**

सेवा में, तिथि : 22.04.2024

1. श्री सुशील कुमार ढल पुत्र श्री सुशांत कुमार ढल (कर्जदार)
2. श्रीमती प्रशांति ढल पत्नी श्री सुशांत ढल (कर्जदार)
3. श्रीमती जमुना देवी पत्नी श्री सूर्य बाली चौरसिया (गारंटर)

पता 1: नूर नगर सिहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001
पता 2: प्लॉट नंबर-236 खसरा नंबर-604 गांव-नूर नगर, मनसा देवी मंदिर के पास सिहानी गाजियाबाद-201003
पता 3: खसरा नं-709 कमला नगर सिहानी रोड माता कॉलोनी गाजियाबाद-201001 मोबाइल: 8130482023/8383994938/8744054621

प्रिय महोदय,

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफैसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत 60 दिवसीय सूचना

विषय: ओडीआईपी खाता संख्या **010900ND20043287**. श्री सुशील कुमार ढल पुत्र श्री सुशांत कुमार ढल, श्रीमती प्रशांति ढल पत्नी श्री सुशांत ढल,
पता 1: नूर नगर सिहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001
पता 2: प्लॉट नंबर-236 खसरा नंबर-604 गांव-नूर नगर, मनसा देवी मंदिर के पास सिहानी गाजियाबाद-201003 द्वारा ग्रहण की गयी ऋण सुविधा।
आपने पर निम्नलिखित क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया है।

क्र.सं.	सुविधा		सीमा	31.03.2024 तक बकाया
1	ओडीआईपी	010900ND20043287	रु. 9,90,000.00	रु. 8,86,836.00
		कुल	रु. 9,90,000.00	रु. 8,86,836.00

किस्त/ब्याज/मूल ऋण का भुगतान न करने के कारण, खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 30.06.2022 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
इन परिस्थितियों में, हम उपरोक्त स्वीकृत सुविधाओं को जारी रखने की अनुमति देने में असमर्थ हैं। अतः हम उपरोक्त सुविधाओं को वापस लेते हैं।
बैंक को 31.03.2024 तक देय राशि रु. 8,86,836.00 (रुपये आठ लाख छियासी हजार आठ सौ छत्तीस मात्र) एवं पुर्ण भुगतान तक भावी ब्याज एवं प्रभार (बाद में 'प्रतिभूत ऋण' के रूप में संदर्भित) है।
उपरोक्त सुविधाओं के तहत बकाया राशि को प्रतिभूत करने के लिए, आपने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संपत्तियों/आस्तियों के संबंध में प्रतिभूति हित सृजित किया है:

क्र.सं.	सुविधा	प्रतिभूति
1.	ओडीआईपी-टीएल (खाता सं.: 010900ND20043287)	आईपी का इक्विटेबल बंधक, आवासीय भूखंड संख्या-236, वार्ड संख्या-50 खसरा संख्या-604 गांव-नूर नगर, मनसा देवी मंदिर के पास सिहानी गाजियाबाद-201003, माप क्षेत्रफल-80.00 वर्ग गज

हम एतद्वारा सरफैसी की धारा 13(2) के तहत आपको नोटिस सर्व करते हैं और आपसे 31.03.2024 तक राशि रु. 8,86,836.00 (रुपये आठ लाख छियासी हजार आठ सौ छत्तीस मात्र) एवं पुर्ण भुगतान तक भावी ब्याज एवं प्रभार का इस सूचना की तिथि से 60 दिनों (साठ दिनों) के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हैं। चूक करने पर, कानून के तहत उपलब्ध बैंक के अन्य अधिकारों का प्रयोग करने के अलावा, बैंक वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (सरफैसी अधिनियम 2002) की धारा 13 (4) के तहत प्रदान की गई किसी भी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने का इरादा रखता है।
आपके द्वारा प्रतिभूत ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में, बैंक द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूत संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	सुविधा	प्रतिभूति
1.	ओडीआईपी-टीएल (खाता सं.: 010900ND20043287)	आईपी का इक्विटेबल बंधक, आवासीय भूखंड संख्या-236, वार्ड संख्या-50 खसरा संख्या-604 गांव-नूर नगर, मनसा देवी मंदिर के पास सिहानी गाजियाबाद-201003, माप क्षेत्रफल-80.00 वर्ग गज

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना ऊपर निर्दिष्ट किसी भी प्रतिभूत आस्तियों को हस्तांतरित नहीं करेंगे।
आपको यह भी नोटिस दिया जाता है कि इस वैधानिक निषेधाज्ञा/संयम का कोई भी उल्लंघन, जैसा कि उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है, एक अपराध है।
यदि किसी कारण से, व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्रतिभूत संपत्ति बेची जाती है या पट्टे पर दी जाती है, तो बिक्री से प्राप्त आय या प्राप्त आय बैंक के पास जमा/प्रेषित की जाएगी। आपको ऐसी वसूली/आय का उचित लेखा-जोखा देना होगा।
(*हमारे पास अन्य प्रतिभूत संपत्तियों को प्रवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है।)
आपका ध्यान सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत आप सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करके, सार्वजनिक या निजी संधि द्वारा प्रतिभूत संपत्ति की बिक्री के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख तक बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बकाया राशि की पूरी राशि जमा कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान दें कि यदि बैंक द्वारा किए गए लागत, शुल्क और व्यय के साथ बकाया राशि की पूरी राशि सार्वजनिक नीलामी या निजी संधि द्वारा प्रतिभूत संपत्तियों की बिक्री के लिए नोटिस के प्रकाशन से पहले कोटेशन, निविदा आमंत्रित करके जमा नहीं की जाती है, तो आप प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के हकदार नहीं हो सकते हैं।
कृपया इस नोटिस के तहत इस मांग का पालन करें और सभी अप्रिय घटनाओं से बचें। गैर-अनुपालन के मामले में, आपको सभी लागतों और परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए, आगे की आवश्यक कार्रवाई का सहारा लिया जाएगा।
*यह नोटिस, जैसा भी मामला हो, डीआरटी/न्यायालय के समक्ष कानूनी कार्रवाई करने वाले बैंक पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया गया है।
*यह नोटिस डीआरटी/कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमे/कार्यवाहियों में बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया गया है।
भवदीय, अधिकृत प्राधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक pnb punjab national bank

.....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालय दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-203207
ई-मेल : bo0109@pnb.co.in

कर्जदार/गारंटर को 60 दिवसीय सूचना — **परिशिष्ट-1 (संशोधित क्रम-4)**

सेवा में, तिथि : 22.04.2024

1. श्री राहुल कुमार पुत्र श्री मोमराज सिंह (कर्जदार)
2. श्री विशाल पुत्र श्री नरेश (गारंटर)

पता 1: पुत्र मोमराज सिंह कलंदरगढ़ी पोस्ट-खुर्जा जंक्शन, कलंदरगढ़ी बुलंदशहर-203132,
पता 2: मकान संख्या-113 संगम विहार नंदग्राम, गाजियाबाद 201001
पता 3: प्लॉट नंबर-20 ए, खसरा नंबर-113 एमआई विल-सद्दीक नगर, हरि मंदिर के पास, ई ब्लॉक जीडीए कॉलोनी नंदग्राम गाजियाबाद-201003
पता 4: मकान नंबर-5 ब्लॉक-आर नंदग्राम गाजियाबाद-201001, मोबाइल: 8410284300/9818155390/8527755658

प्रिय महोदय,

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफैसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत 60 दिवसीय सूचना

विषय: ओडीआईपी खाता संख्या **010900ND20043296**. श्री राहुल कुमार पुत्र श्री मोमराज सिंह,
पता 1: पुत्र मोमराज सिंह कलंदरगढ़ी पोस्ट-खुर्जा जंक्शन, कलंदरगढ़ी बुलंदशहर-203132,
पता 2: मकान संख्या-113 संगम विहार नंदग्राम, गाजियाबाद 201001
पता 3: प्लॉट नंबर-20 ए, खसरा नंबर-113 एमआई विल-सद्दीक नगर, हरि मंदिर के पास, ई ब्लॉक जीडीए कॉलोनी नंदग्राम गाजियाबाद-201003 द्वारा ग्रहण की गयी ऋण सुविधा।
आपने पर निम्नलिखित क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया है।

क्र.सं.	सुविधा		सीमा	31.03.2024 तक बकाया
1	ओडीआईपी	010900ND20043296	रु. 940000.00	रु. 1045537.00
		कुल	रु. 940000.00	रु. 1045537.00

किस्त/ब्याज/मूल ऋण का भुगतान न करने के कारण, खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 30.07.2022 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
इन परिस्थितियों में, हम उपरोक्त स्वीकृत सुविधाओं को जारी रखने की अनुमति देने में असमर्थ हैं। अतः हम उपरोक्त सुविधाओं को वापस लेते हैं।
बैंक को 31.03.2024 तक देय राशि रु. 1045537.00 (रुपये दस लाख पैंतालीस हजार पांच सौ सैंतीस मात्र) एवं पुर्ण भुगतान तक भावी ब्याज एवं प्रभार (बाद में 'प्रतिभूत ऋण' के रूप में संदर्भित) है।
उपरोक्त सुविधाओं के तहत बकाया राशि को प्रतिभूत करने के लिए, आपने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संपत्तियों/आस्तियों के संबंध में प्रतिभूति हित सृजित किया है:

क्र.सं.	सुविधा	प्रतिभूति
1.	ओडीआईपी-टीएल (खाता सं.: 010900ND20043296)	आईपी का इक्विटेबल बंधक, आवासीय प्लॉट नंबर-20 ए, खसरा नंबर-113मिन, गांव- सद्दीक नगर, संगम विहार हरि मंदिर के पास और ई ब्लॉक जीडीए कॉलोनी नंदग्राम, मेरठ रोड परगना लोनी तहसील मनसा देवी मंदिर के पास सिहानी गाजियाबाद-201003, माप क्षेत्र- 45.00 वर्ग गज

हम एतद्वारा सरफैसी की धारा 13(2) के तहत आपको नोटिस सर्व करते हैं और आपसे 31.03.2024 तक राशि रु. 1045537.00 (रुपये दस लाख पैंतालीस हजार पांच सौ सैंतीस मात्र) एवं पुर्ण भुगतान तक भावी ब्याज एवं प्रभार का इस सूचना की तिथि से 60 दिनों (साठ दिनों) के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हैं। चूक करने पर, कानून के तहत उपलब्ध बैंक के अन्य अधिकारों का प्रयोग करने के अलावा, बैंक वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (सरफैसी अधिनियम 2002) की धारा 13 (4) के तहत प्रदान की गई किसी भी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने का इरादा रखता है।
आपके द्वारा प्रतिभूत ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में, बैंक द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूत संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	सुविधा	प्रतिभूति
1.	ओडीआईपी-टीएल (खाता सं.: 010900ND20043296)	आईपी का इक्विटेबल बंधक, आवासीय प्लॉट नंबर-20 ए, खसरा नंबर-113मिन, गांव- सद्दीक नगर, संगम विहार हरि मंदिर के पास और ई ब्लॉक जीडीए कॉलोनी नंदग्राम, मेरठ रोड परगना लोनी तहसील मनसा देवी मंदिर के पास सिहानी गाजियाबाद-201003, माप क्षेत्र- 45.00 वर्ग गज

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना ऊपर निर्दिष्ट किसी भी प्रतिभूत आस्तियों को हस्तांतरित नहीं करेंगे।
आपको यह भी नोटिस दिया जाता है कि इस वैधानिक निषेधाज्ञा/संयम का कोई भी उल्लंघन, जैसा कि उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है, एक अपराध है।
यदि किसी कारण से, व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्रतिभूत संपत्ति बेची जाती है या पट्टे पर दी जाती है, तो बिक्री से प्राप्त आय या प्राप्त आय बैंक के पास जमा/प्रेषित की जाएगी। आपको ऐसी वसूली/आय का उचित लेखा-जोखा देना होगा।
(*हमारे पास अन्य प्रतिभूत संपत्तियों को प्रवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है।)
आपका ध्यान सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत आप सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करके, सार्वजनिक या निजी संधि द्वारा प्रतिभूत संपत्ति की बिक्री के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख तक बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बकाया राशि की पूरी राशि जमा कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान दें कि यदि बैंक द्वारा किए गए लागत, शुल्क और व्यय के साथ बकाया राशि की पूरी राशि सार्वजनिक नीलामी या निजी संधि द्वारा प्रतिभूत संपत्तियों की बिक्री के लिए नोटिस के प्रकाशन से पहले कोटेशन, निविदा आमंत्रित करके जमा नहीं की जाती है, तो आप प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के हकदार नहीं हो सकते हैं।
कृपया इस नोटिस के तहत इस मांग का पालन करें और सभी अप्रिय घटनाओं से बचें। गैर-अनुपालन के मामले में, आपको सभी लागतों और परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए, आगे की आवश्यक कार्रवाई का सहारा लिया जाएगा।
*यह नोटिस, जैसा भी मामला हो, डीआरटी/न्यायालय के समक्ष कानूनी कार्रवाई करने वाले बैंक पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया गया है।
*यह नोटिस डीआरटी/कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमे/कार्यवाहियों में बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया गया है।
भवदीय, अधिकृत प्राधिकारी

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

राजेन्द्र नगर शाखा, गाजियाबाद,
ईमेल: rajendranagar@indianbank.co.in

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र इस समाचार पत्र में दिनांक 07.05.2024 को **मैसर्स अंशुल ट्रेडर्स** की सम्पत्तियों के बिक्री के लिए प्रकाशित ई-नीलामी बिक्री नोटिस के सम्बन्ध में है, जिसमें **खसरा सं. 1715 वाली सम्पत्ति** की **संविदा वृद्धि राशि** रु. 50,000/- अनुवाद त्रुटि की वजह से गलत प्रकाशित हो गया था, इसे रु. 25,000/- सही पढ़ें। अन्य विवरण यथावत रहेंगे।

तिथि: 07.05.2024 **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान: गाजियाबाद **इंडियन बैंक**

YES BANK

पंजीकृत कार्यालय : यस बैंक भवन, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सांताक्रुज पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र – 400055, शाखा कार्यालय : भूखंड सं. 1/9, पटेल नगर (पश्चिम), नई दिल्ली–110008, वेबसाइट : www.yesbank.in

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना
सरफॉएसि नियमावली के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक अधिग्रहण यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी अर्थात् प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा किया जा चुका है, उसका विक्रय **29–मई–2024** को **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है" एवं "वहां जो कुछ भी है"** आधार पर किया जायेगा, जो कि **(1) मिसे. कौशर इदरिश और (2) मोह. इदरिश** की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुग्तेय संविदाकृत दर पर निर्धारित भावी ब्याज एवं शुल्कों के अधीन **18–मई–2022** के अनुसार देय **रु. 16,84,692.72 (रुपये सोलह लाख चौरासी हजार छह सौ बयानबे एवं बहत्तर पैसे मात्र)** की राशि की वसूली के लिये किया जायेगा। इच्छुक पार्टियों/निविदाकर्ताओं द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरांत 22–मई–2024 को मध्या. 11.00 बजे से लेकर दोप. 12.00 बजे तक उल्लिखित संपत्तियों का निरीक्षण किया जा सकता है।

संपत्ति का विवरण

उधारकर्ता/गारंटर(रों)/प्रतिभूति प्रदाता/ओं के नाम	**(1) मिसे. कौशर इदरिश और (2) मोह. इदरिश** दोनों निवासी बी–5/10, फ्लैट नं. जीएफ–03, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद–201102, **अन्य पता यहाँ पर भी :** ए–365, गली सं.–7, श्री राम कॉलोनी, खजूरी, दयालपुर, दिल्ली–110094
18–मई–2022 के अनुसार देय राशि	**रु. 16,84,692.72/–** (रुपये सोलह लाख चौरासी हजार छह सौ बयानबे एवं बहत्तर पैसे मात्र)।
संपत्ति का विवरण	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो भूखंड सं. बी–5/10, एलआईजी फ्लैट नं. जीएफ–3, भूतल, बायें हाथ पर पृष्ठभाग में डीएलएफ अंकुर विहार, ग्राम– लोनी, तहसील एवं जनपद– गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित है, सीमायें इस प्रकार हैं : पूर्व– भूखंड सं. बी–5/11 पश्चिम– भूखंड सं. बी–5/9 उत्तर– भूखंड सं. बी3/17 दक्षिण– 9.00 मी. चौड़ी सड़क
आरक्षित मूल्य (रु.)	**रु. 7,70,000/–** (रुपये सात लाख सत्तर हजार मात्र)
धरोहर राशि जमा (रु.)	**रु. 77,000/–** (रुपये सतहत्तर हजार मात्र)
भौतिक अधिग्रहण की तिथि : 06–मार्च–2023 / मांग सूचना की तिथि : 22–जून–2022	
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	27–मई–2024 को अप. 3.00 बजे तक
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	29–मई–2024 को मध्या. 11.00 से अप. 2.00 बजे तक, 5 मिनट प्रत्येक के विस्तारों के साथ

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.yesbank.in पर दिये गये लिंक **https://www.yesbank.in/about-us/media/auction-property** को देखें।
निविदा प्रलेखों / ई–बोलीदान सूची प्राप्त करने में होनेवाली किसी भी कठिनाई या अचल संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों के निरीक्षण के विषय में तथा प्रश्नों के लिए, कृपया यस बैंक लिमिटेड के संबंधित पदाधिकारियों, श्री मनीष कुमार से उनके संपर्क नं. +919250003060 एवं ई–मेल : manish.kumar51@yesbank.in पर संपर्क करें तथा मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) अहमदाबाद, वेब पोर्टल पता : https://sarfaesi.auctiontiger.net के पदाधिकारियों से संपर्क करें। बोलीदाता सहायता नंबर : +91 9265562821/18 और 9978591888, 079– 68136880 / 68136837, ई–मेल : support@auctiontiger.net और ramprasad@auctiontiger.net, संपर्क व्यक्ति : श्री राम शर्मा– 9978591888
अधिनियम की धारा 13(8) के तहत विचारितानुसार यदि हमारे द्वारा प्रदत्त सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों के साथ हमारी बकाया राशियों का भुगतान, नीलामी / विक्रय सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय कर दिया जाता है, तो हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जायेगा, तथा हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्ति के हस्तांतरण अथवा विक्रय हेतु कोई भी आगामी कार्रवाई नहीं की जायेगी।

उधारकर्ता / गारंटरों के लिये विक्रय सूचना

उपरोक्त को दायित्वधारकों के लिये, प्रकाशन की तिथि से 15 दिवसों के अंदर उपर्युक्त बकाया राशि का भुगतान करने हेतु, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के अंतर्गत सूचना के रूप में समझा–माना जायेगा।

दिनांक : 06–05–2024, स्थान : गाजियाबाद **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी**

नैनीताल बैंक

शाखा - ए 1/1 आचार्य निकेतन, पटपड़गंज रोड, मयूर विहार फेज-I
दिल्ली-110091 फोन नं.: 011-42471254, 07835099039

डिमांड नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के सम्बन्ध में निम्नलिखित ऋणियों एवं जमानतियों द्वारा नैनीताल बैंक की ए 1/1 आचार्य निकेतन, पटपड़गंज रोड, मयूर विहार फेज-I दिल्ली-110091 शाखा से लिया गया ऋण अनर्जक आस्ति हैं। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत बैंक द्वारा पंजीकृत/कोरियर डाक द्वारा प्रेषित डिमाण्ड नोटिस बैंक शाखा में वापस आ गए हैं। यदि ऋणी/जमानतियों द्वारा बैंक की उपरोक्त अवशेष राशि का भुगतान 60 दिन के अन्दर बैंक को नहीं किया जाता है तो बैंक उक्त में उल्लिखित भूमि–भवन का कब्जा सेक्शन 13(4) के अन्तर्गत लेने के लिए बाध्य होगा।

ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. पारूल शर्मा पुत्री गिरीश चन्द्र शर्मा (कर्जदार), नि0 एफ 12डी, प्रथम तल, गली नं. 3, विजय ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली–110092, दूसरा पता–14वां एवेन्यू, टॉवर–ई, फ्लैट नं. 20034, फ्लोर नं. 20, गौर सिटी 2, ग्रेटर नोएडा पश्चिम–201009 2. कपिल गांधी पुत्र अनिल गांधी (जमानती), नि0 40/9, शक्ति नगर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उत्तरी दिल्ली–110007 3. उमा शर्मा पत्नी गंगा शरण शर्मा (जमानती) नि0 यूएस ब्लॉक – 136ए, चन्दर विहार, यादव केबल के पास, आईपी एक्सटेंशन, पूर्वी दिल्ली–110092 (डिमान्ड नोटिस दिनांक 30.04.2024 को रु. 13,59,686.00 (रुपये तेरह लाख उनसठ हजार छह सौ छियासी मात्र दिनांक 28.04.2024 तक) दिनांक 29.04.2024 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे (घटायें वसूली, यदि कोई हो) जारी किया जा चुका है।

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : दृष्टिबंधक वाहन जिसका विवरण – मेकर्स का नाम – एमजी मोटर्स इण्डिया प्रा0लि0, मॉडल का नाम – जेडएस एस्टर वीटीआई–टेक–सीवीटी एसए वीवीवाईआरईडी, वाहन का रंग – केण्डी व्हाईट, पंजीकृत नं. – UP16DC8786, इंजन नं. – CSGM7230107, निमार्ण वर्ष – 01/2022, चेसिस नं. – MZ7ED3HKA5H004123 उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग नोएडा में 21.02.2022 को पारुल शर्मा के नाम से पंजीकृत।

ऋणी एवं जमानतियों को सूचित किया जाता है कि बैंक की ए 1/1 आचार्य निकेतन, पटपड़गंज रोड, मयूर विहार फेज-I दिल्ली-110091 में स्वयं उपस्थित हो 13(2) के अन्तर्गत प्रेषित डिमाण्ड नोटिस प्राप्त कर इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि के 60 दिन के भीतर अवशेष राशि का भुगतान सुनिश्चित करें ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

स्थान : दिल्ली दिनांक : 08.05.2024 **प्राधिकृत अधिकारी**

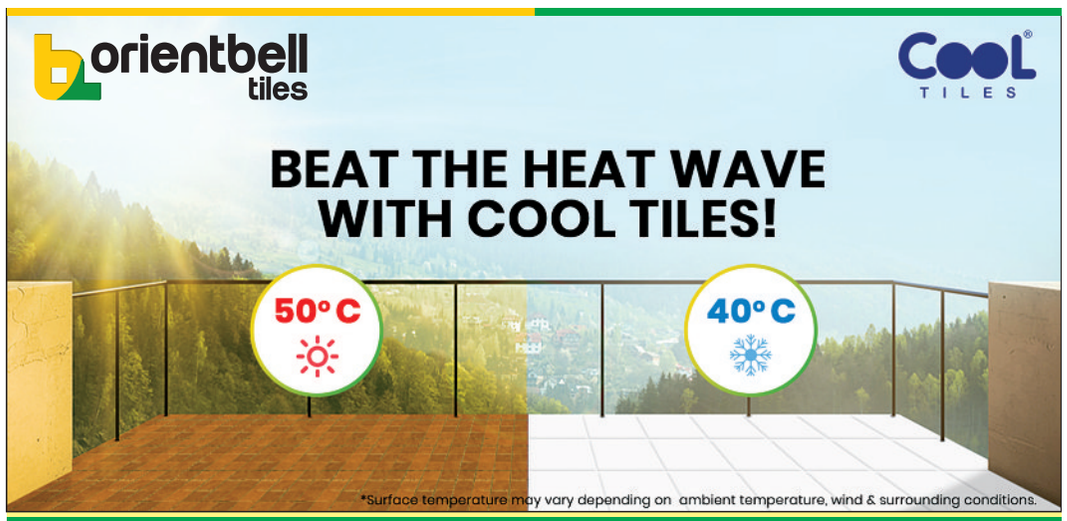

EXTRACT OF STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(₹ in lakhs)

S. No.	Particulars	Consolidated				
		Quarter Ended			Year Ended	
		31/Mar/2024 (Audited)	31/Dec/2023 (Unaudited)	31/Mar/2023 (Audited)	31/Mar/2024 (Audited)	31/Mar/2023 (Audited)
1	Total income from Operations	20,886	16,259	20,130	67,718	71,045
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and share of profit/(loss) in associates and exceptional items)	624	(468)	821	29	2,912
3	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and after exceptional items)	654	(456)	845	114	2,987
4	Net Profit/(Loss) for the period (after tax and exceptional items)	493	(336)	634	92	2,248
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	584	(331)	614	194	2,264
6	Paid up Equity Share Capital (face value of ₹ 10/- each)	1,459	1,457	1,449	1,459	1,449
7	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)					
	1. Basic (amount in ₹)	3.39	-2.31	4.39	0.63	15.56
	2. Diluted (amount in ₹)	3.36	-2.31	4.31	0.62	15.29

Notes:

1. Standalone Un-Audited Financial Performance of the Company is as under: (₹ in lakhs)

S. No.	Particulars	Standalone				
		Quarter Ended			Year Ended	
		31/Mar/2024 (Audited)	31/Dec/2023 (Unaudited)	31/Mar/2023 (Audited)	31/Mar/2024 (Audited)	31/Mar/2023 (Audited)
1	Total income from Operations	20,886	16,259	20,130	67,718	71,045
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	623	(468)	821	28	2,912
3	Net Profit/(Loss) for the period (after tax and exceptional items)	462	(348)	610	6	2,173
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	553	(343)	590	108	2,189

2. The above is an extract of the detailed format of quarterly standalone and consolidated financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation,2015. The full format of the quarterly standalone and consolidated financial results is available on the stock exchange websites. (URL-www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on above mentioned Company's website at https://www.orientbell.com.
3. The above standalone and consolidated financial results have been reviewed by Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on May 07, 2024. The Statutory auditor has expressed an unmodified audit opinion on these standalone and consolidated financial statements.
4. There is no change(s) in accounting policies which have impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s).

For and on behalf of the Board of Directors of Orient Bell Limited
Madhur Daga
Managing Director

Place : New Delhi
Date : May 07, 2024

Orient Bell Limited
CIN: L14101UP1977PLC021546
Registered Office : 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205, Dist. Bulandshahr, U. P.
Corporate Office : Iris House, 16 Business Center, Nangal Raya, New Delhi-110 046
+91-11-47119100 | investor@orientbell.com | www.orientbell.com

पंजाब नैशनल बैंक pnb punjab national bank

.....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालय दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-203207
ई-मेल : bo0109@pnb.co.in

कर्जदार/गारंटर को 60 दिवसीय सूचना — **परिशिष्ट-1 (संशोधित क्रम-4)**

सेवा में, तिथि : 22.04.2024

1. श्री मनोज साह पुत्र श्री बाबूलाल साह (कर्जदार)
2. श्रीमती मिंटू देवी पत्नी श्री मनोज साह (कर्जदार)
3. श्री मायानंद कुमार पुत्र श्री मनोज साह (कर्जदार)

पता 1: निवासी मकान संख्या-73/2 मिर्जापुर, मिर्जापुर धोबही शिवहर बिहार-843329
पता 2: प्लॉट नंबर-116 खसरा नंबर-346 श्री गणेशपुरम कॉलोनी कॉलोनी गांव- मोड़ता परगना जलाबाद गाजियाबाद-201003 मोबाइल: 8527838398/7011979287/8076608169

प्रिय महोदय,

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफैसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत 60 दिवसीय सूचना

विषय: ओडीआईपी खाता संख्या **010900NC20052172**. श्री मनोज साह पुत्र श्री बाबूलाल साह, श्रीमती मिंटू देवी पत्नी श्री मनोज साह,
पता 1: निवासी मकान संख्या-73/2 मिर्जापुर, मिर्जापुर धोबही शिवहर बिहार-843329
पता 2: प्लॉट नंबर-116 खसरा नंबर-346 श्री गणेशपुरम कॉलोनी कॉलोनी गांव- मोड़ता परगना जलाबाद गाजियाबाद-201003 द्वारा ग्रहण की गयी ऋण सुविधा।
आपने पर निम्नलिखित क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया है।

क्र.सं.	सुविधा		सीमा	31.03.2024 तक बकाया
1	गृह ऋण	010900NC20052172	रु. 10,00,000.00	रु. 10,33,137.00
		कुल	रु. 10,00,000.00	रु. 10,33,137.00

किस्त/ब्याज/मूल ऋण का भुगतान न करने के कारण, खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2024 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
इन परिस्थितियों में, हम उपरोक्त स्वीकृत सुविधाओं को जारी रखने की अनुमति देने में असमर्थ हैं। अतः हम उपरोक्त सुविधाओं को वापस लेते हैं।
बैंक को 31.03.2024 तक देय राशि रु. 10,33,137.00 (रुपये दस लाख तैंतीस हजार एक सौ सैंतीस मात्र) एवं पुर्ण भुगतान तक भावी ब्याज एवं प्रभार (बाद में 'प्रतिभूत ऋण' के रूप में संदर्भित) है।
उपरोक्त सुविधाओं के तहत बकाया राशि को प्रतिभूत करने के लिए, आपने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित संपत्तियों/आस्तियों के संबंध में प्रति